राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ ( ) परावि/पीसी/निरायो/टोयलेट/2013–14/ 218 जयपुर, दिनांक : 7/2/2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के रख–रखाव तथा स्वच्छता हेतु निर्बन्ध योजनान्तर्गत प्रावधान के संबंध में।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के रख–रखाव तथा स्वच्छता हेतु निर्बन्ध योजनान्तर्गत प्रावधान करने हेतु दिनांक 17.1.2014 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालना मे विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.11 द्वारा जारी निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) योजना के दिशा–निर्देश के बिन्दू संख्या 5–सम्पादित कराये जाने वाले कार्य के बिन्दु–(ग) स्वच्छता एवं सुविधाओं के कार्य में बिन्दू संख्या 6 निम्नानुसार अतिरिक्त जोडा जाता है :–

" राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के रख–रखाव तथा स्वच्छता के कार्य हेतु राशि 5000 रू. प्रति वर्ष प्रति विद्यालय निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) योजनान्तर्गत उपयोग किया जाना अनुमत किया जाता है। उक्त कार्य राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कराया जावेगा जिसके लिये विद्यालयवार प्रस्ताव अनुसार आवश्यक राशि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराई जावेगी, जो राज्य के विद्यालयों में गठित की गई विद्यालय प्रबन्ध समितियों (एस.एम.सी.) को राशि हस्तान्तरित कर उक्त कार्य कराया जावेगा। व्यय की गई राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा पंचायती राज विभाग को भिजवाया जावेगा "

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फ्रा) राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
9. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
11. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
13. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रा.वि.पं.रा.वि.।
14. जिला प्रमुख जिला परिषद समस्त।
15. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
16. सहायक अभियन्ता(सी.डी.), जिला परिषद समस्त।
17. प्रोग्रामर ,पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

7/2

अधीक्षण अभियन्ता (एस)

C:\Users\PRD-34\Desktop\Project T.C\D.S. singh\Letter.doc